डीजी–परिपत्र संख्या–04/2021

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः फरवरी 08 ,2021

विषयः–गुमशुदा/अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में समयबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि गुमशुदा/अपहरण/व्यपहरण की घटनाओं का होना चिंता का विषय है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम एवं त्वरित विवेचनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये हैं। परन्तु इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का आपके स्तर से समुचित अनुपालन नहीं किया/कराया जा रहा है। इस प्रकार की घटनायें घटित होने से जनमानस में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है तथा घटनाओं का त्वरित एवं समयबद्ध अनावरण न होने से जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ती है। ऐसी घटनाओं का तत्परता से निस्तारण न किये जाने के कारण मा0 न्यायालयों द्वारा भी समय–समय पर टिप्पणी की गयी है। आप सहमत होंगे कि इस प्रकार की घटनाओं का तत्परता से गुणवत्तापरक निस्तारण का दायित्व भी पुलिस का कानूनी दायित्व है।

डीजी परिपत्र–06/2013	दिनांक 02.02.2013
डीजी परिपत्र–12/2013	दिनांक 11.04.2013
डीजी परिपत्र–02/2014	दिनांक 09.01.2014
डीजी परिपत्र–49/2014	दिनांक 27.07.2014
डीजी परिपत्र–36/2015	दिनांक 19.05.2015
डीजी परिपत्र–52/2016	दिनांक 24.08.2016
डीजी परिपत्र–42/2017	दिनांक 02.12.2017
डीजी परिपत्र–32/2018	दिनांक 21.06.2018

इस प्रकार के घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्न उपाय सुझाव के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनका पालन करना व कराना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का दायित्व हैः–

➢ **गुमशुदगी की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरणः–**

- थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाये और उन्हें यह परामर्श न दिया जाये कि वह पहले बच्चे/गुमशुदा को स्वयं ढूंढ लें। ऐसा करने से पुलिस कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब होगा।
- गुमशुदा/अपहरण/व्यपहरण की घटनाओं की सूचना पर धारा 154 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत तत्काल प्रथम सूचना पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- थाने पर समस्त कर्मियों को इस सम्बन्ध में संवेदनशील बनायें कि वे शिकायतकर्ता के साथ शिष्ट व भद्र व्यवहार करें एवं बिना विलम्ब के विधिक तथा अग्रेत्तर कार्यवाही करायें।

➢ **विवेचनात्मक कार्यवाही–**

- प्राथमिकी दर्ज होते ही विवेचना प्रारम्भ करते हुए सम्पूर्ण विवचेना हेतु विवेचक द्वारा प्रकरण में समस्त संज्ञानित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विवेचना की एक कार्य योजना बनायी जायेगी जिसका अनुमोदन सम्बन्धित राजपत्रित पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस कार्य योजना में विवेचना से सम्बन्धित सम्पूर्ण पहलुओं, निरीक्षण घटनास्थल, नक्शा–नजरी यथासम्भव फील्ड यूनिट, इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के उपयोग के उपरान्त घटना के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही नियमानुसार आगे बढ़ाई जायेगी।

- इस प्रकार के अभियोग पंजीकृत होते ही सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना स्तर से गुमशुदा एवं अपहृत/व्यपहरित की बरामदगी का अनवरत प्रयास किया जायेगा।
- विवेचना से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों की प्रविष्टि, जी0डी0 तथा थाने के सम्बन्धित अभिलेखों में अंकित की जायेगी।

➢ **तकनीकी सहायता–**

- इस प्रकार के अपराध पंजीकृत होते ही गुमशुदा एवं अपहृत/व्यपहरित के निकट सम्बन्धियों/परिजनों/मित्रों एवं संदिग्ध व्यक्तियों आदि की सूची बनाकर आवश्यकतानुसार उनके नम्बरों को सर्विलांस हेतु नियमानुसार लगाया जायेगा तथा इन नम्बरों के सर्विलांस का विश्लेषण सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी और जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सर्विलांस सेल द्वारा किया जायेगा।
- नामित अभियुक्तों से की गयी पूछताछ की वीडियो रिकार्डिंग करायी जाये तथा विधिक आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर लिया जाये।
- आवश्यकतानुसार अभियुक्त का पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाये।

➢ **प्रचार–प्रसार–**

- विवेचना प्रारम्भ होते ही गुमशुदा एवं अपहृत/व्यपहरित का हुलिया तथा अन्य सूचना एस.सी.आर.बी. एवं एन.सी.आर.बी. को 24 घंटों के अन्दर प्रेषित की जाये।
- भारतवर्ष के सभी राज्यों को एस.सी.आर.बी. एवं एन.सी.आर.बी. के माध्यम से गुमशुदा एवं अपहृत/व्यपहरित का पूर्ण विवरण व अन्य लाभप्रद सूचनायें उपलब्ध कराकर समुचित अनुश्रवण किया जाये।
- दूरदर्शन, रेडियो व अन्य संचार के माध्यमों से सूचना का प्रसार कराया जाये तथा URL:- http://trackthemissingchild.gov.in/ पर अपलोड कर विवरण डाला जाये। इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में **परिपत्र सं0:06/2013 दिनांक 02.02.13** द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।
- तलाश के अन्य प्रयासों के साथ–साथ स्थानीय महत्वपूर्ण समाचार पत्रों तथा पम्फलेट छपवाकर उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करवाकर तलाश की कार्यवाही की जाये।

➢ **पर्यवेक्षण–**

- सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन की कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी तथा सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा साप्ताहिक समीक्षा कर इसकी आख्या जनपदीय पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में अनिवार्य रूप से इस प्रकार के पंजीकृत अपराधों की समीक्षा की जायेगी।

➢ **समीक्षा–**

- क्षेत्राधिकारी विवेचना के प्रत्येक पहलू की समीक्षा करेंगे तथा प्रारम्भ से अन्त तक हुयी विवेचना की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि विवेचक द्वारा घटना के समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं यदि विवेचना में कहीं भी त्रुटियां रहती हैं तो ऐसी त्रुटियों के निराकरण में विवेचक को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- अपर पुलिस अधीक्षक इस प्रकार की विवेचनाओं में उनकी परिस्थितियों, सम्भावित कारणों तथा इसमें अपराधी की संलिप्तता इत्यादि की समीक्षा कर विवेचक को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे।

* ऐसे प्रकरण की समीक्षा जनपद के पुलिस अधीक्षक स्वयं करेंगे। पुलिस अधीक्षक अपनी समीक्षा में प्रमुख रूप से देखेंगे कि सम्पूर्ण प्रकरण में किये गये प्रयास दिये गये निर्देशों के अनुरूप हैं अथवा नहीं? यदि किसी भी स्तर पर पुलिस कार्यवाही में कोई लापरवाही हुयी है तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी करेंगे।

➢ **इकाईयों का सहयोग–**

* जनपद स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों में विवेचक की मदद हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद में स्थापित क्राइम ब्रांच में क्रियाशील यूनिटों, A.H.T.U(जहां कार्यरत हैं) के सहयोग हेतु निर्देश निर्गत कर कार्यवाही करायें।
* ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक से समन्वय बनाकर यदि उचित समझें तो एस0टी0एफ0 से मदद ली जा सकती है।
* इसके अतिरिक्त स्थानीय गैर सरकारी संगठनों व अन्य एजेन्सियों से सम्पर्क कर सहायता ली जाये।

2. उपरोक्त दिशा–निर्देश इस परिप्रेक्ष्य में मात्र आपके मार्ग दर्शन के लिये हैं इसके अतिरिक्त आप अपने जनपद की आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितयों के आधार पर अन्य आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

3. आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त बिन्दुओं का स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर लें एवं एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वे अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही व उदासीनता न बरतें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

8/7/21.

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।